"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 985] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2025 — पौष 9, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक **RULE-3016/1/2025-FOREST -.** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. अनुसूची-तीन के टीप में, शब्द "ऐसे अभ्यर्थी" के पूर्व अंक एवं चिन्ह "(1)" अंतःस्थापित किया जाये।

2. अनुसूची-तीन के टीप (1) के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"(2) सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल की सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों के 50% पद वानिकी विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

परंतु, यदि उक्त विषय के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उनके लिए आरक्षित पद अग्रनीत नहीं किए जायेंगे और विज्ञापित पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में विहित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अन्य पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा की जा सकेगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th December 2025

NOTIFICATION

No. RULE-3016/1/2025-FOREST -. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Forest (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In note of Schedule-III, before the words "The upper" the figure and parenthesis "(1)" shall be inserted.

2. After note (1) of Schedule-III, the following note shall be added, namely:-
   "(2) For direct recruitment of Assistant Conservator of Forest and Forest Ranger, 50% of the vacant posts shall be reserved for the candidates having Graduate Degree from a recognized university with Forestry as a subject:

   Provided that if eligible candidates of the said subject are not available, the posts reserved for them shall not be carried forward and the advertised posts can be filled by other eligible candidates having educational qualifications prescribed in Chhattisgarh Forest (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2015."

By order and in the name of the Governor of chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE-3016/1/2025-FOREST - . भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वन (संयुक्त) परीक्षा नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. अधिसूचना क्र. एफ 2-23/2012/10-1/वन दिनांक 29 दिसम्बर 2023 निरस्त किया जाता है।

2. उक्त नियम के नियम 5(ख) के टीप के नीचे निम्नानुसार एक और टीप जोड़ा जाये, अर्थात :-

- "सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल के सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद 'वानिकी विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक डिग्री' प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। परंतु यह भी है कि यदि उक्त विषय के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उनके लिए आरक्षित उक्त पद को कैरीफारवर्ड नहीं किया जाकर, छत्तीसगढ़ वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 एवं छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम, 2014 में विहित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अन्य पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापित पदों की पूर्ति की जा सकेगी"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th December 2025

NOTIFICATION

No. RULE-3016/1/2025-FOREST -. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Forest Service (Combined) Examination Rules, 2014, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. Notification No. F 2-23/2012/10-1/Forest dated 29th December 2023 is repealed.

2. Another note should be added below Rule 5(b) of the said rule as follows, namely :-

- "For direct recruitment of Assistant Forest Conservator and Forest ranger, 50 percent of the vacant posts will be reserved for the candidates having 'Graduate degree from a recognized university/institute with Forestry subject'. Provided also that if eligible candidates for the said subject are not found, the post reserved for them will not be carried forward and the educational qualification prescribed in Chhattisgarh Forest (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2015 and Chhattisgarh Forest Service (Combined) Examination Rules, 2014 will be considered. The advertised posts can be filled from other eligible candidates having."

By order and in the name of the Governor of chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.